एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 17/2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः मई 25, 2021

विषयः- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम1985 (NDPS Act 1985) की धारा-50 के प्रभावी अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act 1985) के आज्ञापक प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है किन्तु उसका पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के प्राविधानों का प्रभावी अनुपालन न किये जाने के कारण कतिपय प्रकरणों में अभियुक्तों को इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर सम्बन्धित विचारण न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 04/2013 दि0 23.01.2013
डीजी-परिपत्र सं0 - 21/2014 दि0 04.04.2014

अभियुक्तों की जामातलाशी के संबंध में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act 1985) की धारा-50 में निम्नवत व्यवस्था की गयी है-

"धारा-50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी-

1. जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

2. यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

3. यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

4. किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

5. जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में की किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

Scanned by CamScanner

6. उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।"

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act 1985) की धारा-50 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया एक संविधिक प्रक्रियात्मक अपेक्षा है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है, अतः अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों/अभियुक्तों की तलाशी हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे है-

(1) NDPS Act 1985 की धारा-50(4) के अन्तर्गत ऐसा प्राविधान है कि महिलाओं की तलाशी महिला अधिकारियों द्वारा ही ली जाये, अतः महिलाओं की तलाशी हेतु गिरफ्तारी की टीम में महिला सदस्य को अवश्य शामिल किया जाये।

(2) तलाशी/ गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को यह सूचित करना चाहिए कि उसका यह कानूनी अधिकार है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाये; नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा जारी DRUG LAW ENFORCEMENT FIELD OFFICERS HANDBOOK में निर्धारित संलग्नक प्रोफार्मा का उपयोग कन्ट्रोल ब्यूरो अधिकारियों द्वारा धारा 50 NDPS Act 1985 के अनुपालन हेतु किया जाता है। यदि व्यक्ति यह विकल्प देता है कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाये तो उसे ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, जो इसका निर्णय लेगा की उसकी तलाशी ली जाये अथवा अन्य कार्यवाही की जाये। तलाशी हेतु गये पुलिस अधिकारी को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करवाना चाहता है तो संदिग्ध व्यक्ति को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुरक्षित एवं सुगम होगा। संदिग्ध व्यक्ति यह आग्रह नहीं कर सकता कि तलाशी के लिए उसे किसके समक्ष पेश किया जाये।

(3) यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा-50(2) के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकार संदिग्ध व्यक्ति को तभी प्राप्त है, जब उसके शरीर की तलाशी की जानी होती है, ऐसा परिसरों की तलाशी करने अथवा व्यक्ति के पास रखी वस्तुओं या ले जायी जा रही वस्तुओं की तलाशी करने के मामलें में आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिये यदि पुलिस अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति के पास रखे ब्रीफ केस की तलाशी करना चाहता है तो अधिनियम की धारा-50 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) यदि पुलिस अधिकारी के पास ऐसा विश्वास किए जाने के कारण है कि ऐसे व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति अपने पास रखे एनडीपीएस एक्ट या उससे संबंधित वस्तुओं या दस्तावेज को त्याग सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(5) के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसकी तलाशी स्वयं करे और ऐसी तलाशी करने के बाद उसे ऐसा विश्वास किए जाने के कारण को दर्ज करना चाहिए और उसे तत्काल 72 घंटो के भीतर अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को भेजना चाहिए।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित आज्ञापक प्राविधानों से अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में इस प्रकार का दृष्टांत प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ ही जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध

Scanned by CamScanner

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशो के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि अनुपालन में कोई त्रुटि न हो।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक,जी0आर0पी0 उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/वाराणसी, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

DRUG LAW ENFORCEMENT

FIELD OFFICERS' HANDBOOK

Narcotics Control Bureau
Ministry of Home Affairs
Government of India

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-IV

NAME OF ORGANIZATION

OFFICE/UNIT

(Mention complete address/contact number)

(Notice u/s 50 of The NDPS Act, 1985).

To

Sub : Notice under Section 50 of The NDPS Act, 1985).

Sir,

Whereas there is reason to believe that Narcotic Drugs/Psychotropic Substances/Controlled Substances and/or documents, articles and things which may furnish evidence of commission of an offence under the NDPS Act, 1985 are in your possession, therefore, your personal search is to be conducted by the undersigned. If you so require, such search will be conducted in presence of the nearest Gazetted Officer or Magistrate.

Date : .....

Signature

Scanned by CamScanner

(Name & Designation of Officer)

Statement of .....(the Person about to be searched)

I have been informed and have understood the Notice of Personal Search under Section 50 of the NDPS Act. I require/do not require that my personal search may be conducted in presence of the nearest Gazetted Officer or Magistrate.

Signature and Name of the Person

Witnesses:

1.

2.

Scanned by CamScanner

संलग्नक–4

संगठन का नाम
कार्यालय/यूनिट
(कृपया पूरा पता/संपर्क नम्बर लिखें)

(एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत नोटिस)

सेवा में,

.....
.....
.....

विषयः एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत नोटिस।

महोदय,

जबकि, ऐसा विश्वास किए जाने का कारण है कि आपके पास स्वापक औषधि/मनः प्रभावी पदार्थ/नियंत्रित पदार्थ और/या दस्तावेजों, सामान और चीजों एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराध के किए जाने का साक्ष्य पेश कर सकते हैं, आपके पास विद्यमान हैं, जिनको अपने पास रखना, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत एक अपराध है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपकी व्यक्तिगत तलाशी करना जरूरी है। यदि आप चाहें तो आपकी तलाशी निकटस्थ राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जा सकती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

श्री..... (जिसकी तलाशी ली जानी है)
का बयान

Scanned by CamScanner

मुझे यह सूचित किया गया है और मैनें स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत तलाशी किए जाने के नोटिस को समझ लिया है। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं/नहीं करता हूं कि मेरी तलाशी किसी निकटस्थ राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए।

व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

गवाहः

1. .....

2. .....

Scanned by CamScanner